प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील संख्या 281/2022

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय

बोदरी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

---- अपीलकर्ता

बनाम

1. गणेश राम बर्मन पिता स्वर्गीय राजूराम बर्मन (अ.ज.जा.), उम्र लगभग 43 वर्ष,

भूतपूर्व सदस्य, छ.ग. उच्च न्यायिक सेवा, निवासी–वार्ड क्रमांक 19,

प्रीमेट्रिक गर्ल्स हॉस्टल के पास, इंदिरा नगर, जांजगीर,

जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, विधि, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

जिला रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

(वाद शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता के लिए:	प्रफुल्ल एन. भारत, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री शशांक ठाकुर, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 1 के लिए:	श्री बी.एन. मिश्रा और श्री टी.के. झा, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 2 के लिए:	श्री जितेन्द्र पाली, उप महाधिवक्ता

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक : 23.06.2022
आदेश पारित करने का दिनांक : 29.07.2022

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधिपति
माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश
सी ए वी निर्णय

अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधिपति के अनुसार

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री शशांक ठाकुर, अधिवक्ता को सुना। साथ ही उत्तरवादी संख्या 1/रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. मिश्रा और श्री टी.के. झा और उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री जितेन्द्र पाली को भी सुना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. यह रिट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा WP(S) क्रमांक 825/2017 में पारित दिनांक 13.05.2022 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अधीन अपील में याचिकाकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दायर रिट याचिका को छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा पारित दिनांक 06.02.2017 के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त करते हुए स्वीकार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इससे अपीलकर्ता क्रमांक 1 अर्थात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा। याचिकाकर्ता को बकाया वेतन को छोड़कर सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश जारी किया गया था। याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष बकाया वेतन का दावा करने हेतु अभ्यावेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा यह पाया गया कि ऐसा अभ्यावेदन किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार अगले 60 दिनों के भीतर बकाया वेतन के दावे पर विचार करेगा।

3. रिट याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 (जिसे आगे 'नियम 2006' कहा जाएगा) के नियम 5 (1) (सी) के अनुसार दिनांक 30.10.2014 के आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के रूप में सीधे नियुक्त किया गया था। जब याचिकाकर्ता परिवीक्षा

अवधि में था, तब जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 31.08.2016 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता सहित तीन न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाने वाली अनाम शिकायत की प्रति तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर रजिस्ट्रार (सतर्कता) की रिपोर्ट संलग्न की गई, जिसमें याचिकाकर्ता से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.09.2016 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को नियम 9(4) 2006 के अनुसार उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 06.02.2017 को सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया।

4. रजिस्ट्रार (सतर्कता) की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि पोर्टफोलियो न्यायाधीश द्वारा तीनों न्यायिक अधिकारियों के आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए दिए गए निर्देश के आधार पर अगस्त, 2015 से जनवरी, 2016 तक के मामलों के निपटारे के अभिलेख मंगाए गए। याचिकाकर्ता ने 12 सत्र मामले, 19 आपराधिक अपील, 159 जमानत आवेदन और 21 आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा किया था और रजिस्ट्रार (सतर्कता) द्वारा आदेशों की जांच की गई थी। अवलोकन करने पर रजिस्ट्रार (सतर्कता) ने कहा कि सत्र मामलों, आपराधिक मामलों और आपराधिक पुनरीक्षण के निपटारे में कोई स्पष्ट अनियमितता नहीं थी। जमानत आवेदनों के निपटान के संबंध में, यह नोट किया गया कि आवेदनों के निपटान में कुछ अनियमितताएं थीं, यह निम्नानुसार देखा गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. जमानत आवेदन क्रमांक 1582/15 राहुल देव महाजन बनाम राज्य,
2. जमानत आवेदन क्रमांक 2375/15 राजेंद्र प्रसाद पांडे बनाम राज्य,
3. जमानत आवेदन क्रमांक 110/16 राजेंद्र प्रसाद पांडे बनाम राज्य
4. जमानत आवेदन क्रमांक 114/16 सरवन सिंह @ जोगी बनाम राज्य

जमानत आवेदन क्रमांक 1582/15 राहुल देव महाजन बनाम राज्य के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी राहुल देव महाजन की प्रथम एवं द्वितीय जमानत आवेदन श्री गणेश राम

बर्मन, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा क्रमशः 22/06/15 एवं 04/08/15 को निरस्त कर दी गई तथा उसके पश्चात तृतीय जमानत आवेदन क्रमांक 1582/15 को स्वीकार कर ली गई। 21/08/15 को आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी प्रकार आरोपी सरवन सिंह उर्फ जोगा की प्रथम एवं द्वितीय जमानत आवेदन श्री गणेश राम बर्मन द्वारा 26/08/15 एवं 26/09/15 को निरस्त कर दी गई तथा तत्पश्चात तृतीय जमानत आवेदन क्रमांक 114/16 सरवन सिंह उर्फ जोगी बनाम राज्य को उक्त न्यायिक अधिकारी द्वारा 18/01/16 को स्वीकार कर लिया गया तथा आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि अपराध क्रमांक 66/15 में आरोपी राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय की प्रथम जमानत आवेदन ए.सी.जे.एम. द्वारा 18/09/15 को निरस्त कर दी गई थी। तत्पश्चात जमानत आवेदन क्रमांक 2375/15 राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय बनाम राज्य को श्री गणेश राम बर्मन द्वारा 11/12/15 को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात जमानत आवेदन संख्या 110/16 राजेंद्र प्रसाद पांडे बनाम राज्य को श्री बर्मन द्वारा 18/01/16 को स्वीकार कर लिया गया तथा अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. तर्क दिया गया कि सेवा समाप्ति का आदेश कलंकपूर्ण और दंडात्मक प्रकृति का था और नियम 9(4) 2006 के अधीन याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और यह केवल "फूल कोर्ट" ही था, जो नियम 9(4) 2006 के अधीन याचिकाकर्ता जैसे सीधी भर्ती वाले न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश कर सकता था।

6. उच्च न्यायालय द्वारा 15.01.2018 को प्रस्तुत जवाब में तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति का आदेश कलंकपूर्ण प्रकृति का नहीं है और इससे उस पर कोई कलंक नहीं लगता। हालांकि, उक्त शपथ पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया तर्क कि सेवा समाप्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि स्थायी समिति द्वारा की गई थी, पर ध्यान नहीं दिया गया।

7. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ उच्च न्यायालय द्वारा दायर जवाब पर 15.02.2018 को एक प्रतिउत्तर दायर किया, जिसमें कहा गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप निराधार हैं और परिवीक्षा पर उनकी दो साल की सेवा के दौरान, उन्हें कोई असंतोषजनक या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं बताई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन किए गए आवेदनों के आधार पर प्राप्त जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा 12.07.2018 को एक अतिरिक्त प्रतिउत्तर दायर किया गया, जिसमें दोहराया गया कि समाप्ति की सिफारिश स्थायी समिति द्वारा की गई थी न कि "फूल कोर्ट" द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा 02.05.2019 को एक अतिरिक्त जवाब दायर किया गया। इसके पैरा 5 में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 (संक्षेप में 'नियम 2007') के अध्याय 1–ए के नियम 4–ओ में प्रावधान है कि स्थायी समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर अंतिम निर्णय "फूल कोर्ट" द्वारा लिया जाएगा और इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि अनुशंसाएं केवल "फूल कोर्ट" द्वारा ही की जाएं। आगे कहा गया है कि "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि स्थायी समिति ने केवल नियम 2007 के अध्याय 1–ए के विचार में अनुशंसा की है, अंतिम निर्णय "फूल कोर्ट" द्वारा लिया गया था न कि स्थायी समिति द्वारा"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय के पैरा 6 में इस प्रकार कहा गया है: "6. 27–1–2022 को याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त 24–1–2017 की स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अंश की प्रति के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि स्थायी समिति द्वारा उनकी सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गई थी और उसी दिन मामला इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया और उत्तरवादी संख्या 1 के वकील को अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया और प्रदान किया गया और अंततः उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से 18–2–2022 को अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का मामला स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था और स्थायी समिति ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता

परिवीक्षा पर था, उनकी सेवाओं की समाप्ति की अनुशंसा की तथा स्थायी समिति की अनुशंसा के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने दिनांक 6–2–2017 को याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित किया है। पक्षों द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है।"

9. याचिकाकर्ता से संबंधित मद 5(सी) के संबंध में दिनांक 24.01.2017 को स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त इस प्रकार है: "(सी) स्थायी समिति ने श्री गणेश राम बर्मन के समग्र प्रदर्शन और संपूर्ण सेवा अभिलेख पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन पर यह पाया गया कि वे सेवा में स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अतः छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 9 के उपनियम (4) के अन्तर्गत उनकी सेवायें समाप्त करने की अनुशंसा करने का संकल्प लिया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलकर्ताओं द्वारा हमारे समक्ष इस बात पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि अनुशंसा स्थायी समिति द्वारा की गई थी। वस्तुतः अपील ज्ञापन के पैरा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थायी समिति ने याचिकाकर्ता की सेवायें समाप्त करने की अनुशंसा करने का संकल्प लिया था।

11. नियम 2006 का नियम 9(4) इस प्रकार है:

> "9. परिवीक्षा –(4) उच्च न्यायालय किसी भी समय, परिवीक्षा या स्थानापन्नता की अवधि पूरी होने से पहले, जैसा भी मामला हो, किसी सीधी भर्ती वाले व्यक्ति की सेवा समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है या सेवा के किसी पदोन्नत सदस्य को उस मूल पद पर वापस भेजने की सिफारिश कर सकता है, जिससे उसे पदोन्नत किया गया था।

12. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचारार्थ निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए थे:–

> "1. क्या दिनांक 4–7–2015 की अधिसूचना द्वारा गठित स्थायी समिति के पास भारत के

संविधान के अनुच्छेद 235 के साथ पठित उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों के नियम 9 के उप–नियम (4) के अनुसार याचिकाकर्ता (परिवीक्षाधीन) की सेवाओं को राज्य सरकार को समाप्त करने की सिफारिश करने की क्षमता और अधिकारिता होगी?

2. क्या जिला न्यायाधीश के पद से याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति दंडात्मक / कलंकपूर्ण थी जिसके लिए उसके खिलाफ कदाचार के आरोपों की पूरी जांच की आवश्यकता थी? "

13. विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 4–सी में निर्धारित स्थायी समिति की शक्ति पर विचार किया था, जिसमें नियम 4–सी (ix), 4–सी (xii) का विशेष संदर्भ था, तथा उन मामलों पर भी विचार किया था, जिनमें न्यायाधीशों द्वारा "फूल कोर्ट" की बैठक में निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि नियम 4–ओ(i)(बी) में निर्धारित है, तथा इस पर विचार करते हुए पैरा 30 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"30. नियम 2007 के नियम 4–सी(ix) पर केन्द्रित दृष्टि डालने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने स्थायी समिति को केवल उच्च न्यायिक सेवा तथा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के विरुद्ध निलम्बन, विभागीय कार्यवाही शुरू करने तथा सेवा से बर्खास्तगी के अलावा उक्त कार्यवाही में परिणामी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की है। तथापि, किसी भी रैंक के न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करने की शक्ति भी स्थायी समिति को प्रदान की गई है, लेकिन किसी न्यायिक अधिकारी/जिला न्यायाधीश की बर्खास्तगी के लिए सिफारिश करने की कोई शक्ति स्पष्ट रूप से या निहित रूप से उच्च न्यायालय द्वारा स्थायी समिति के पक्ष में प्रदान नहीं की गई है। अन्यथा भी, 2007 के नियमों के नियम 4–ओ (आई) (बी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है और स्थायी समिति की शक्ति को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक अधिकारी के पद से बर्खास्तगी के लिए सभी सिफारिशें सभी न्यायाधीशों की "फूल कोर्ट" की बैठक में की जाएंगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थायी समिति के पास याचिकाकर्ता को जिला न्यायाधीश के पद से बर्खास्त करने

के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करने का कोई अधिकार और क्षेत्राधिकार नहीं था और याचिकाकर्ता/परिवीक्षाधीन की सेवाओं को उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों के नियम 9(4) के साथ अनुच्छेद 235 के अनुसार समाप्त करने की सिफारिश करना केवल "फूल कोर्ट" का अधिकार और क्षेत्राधिकार था।

14. प्रश्न संख्या 1 पर निर्णय करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैरा 32 और 33 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"32. उच्च न्यायालय द्वारा 18–2–2022 को प्रस्तुत अतिरिक्त जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह स्थायी समिति ही है जिसने याचिकाकर्ता के मामले को राज्य सरकार को समाप्त करने की सिफारिश की है और उसी आधार पर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिनांक 6–2–2017 को पारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. अभिलेख पर उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त करने की सिफारिश करने के लिए कि उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं थीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के दृष्टिकोण में सक्षम प्राधिकारी केवल उच्च न्यायालय का "फूल कोर्ट" ही था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि वर्तमान मामले में "फूल कोर्ट" ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है और स्थायी समिति ने ही उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए ऐसी सिफारिश की है, जबकि स्थायी समिति को अधिसूचना दिनांक 4–7–2015 के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश करने का न तो अधिकार है और न ही वह अधिकृत है। चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार उच्च न्यायालय के "फूल कोर्ट" में निहित है, इसलिए "फूल कोर्ट" ही ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के

लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, लेकिन वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के "फूल कोर्ट" द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों के नियम 9(4) के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है। चूंकि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उच्चतर न्यायिक सेवा नियमों के नियम 9(4) के अनुसार कोई सिफारिश नहीं की है, इसलिए स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित समाप्ति का आदेश स्वतः ही असंवैधानिक और विधिक अधिकार से रहित है, और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

15. प्रश्न संख्या 2 के संबंध में, पैरा 36 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई:

"36. चूंकि समाप्ति का आक्षेपित आदेश पहले ही असंवैधानिक और विधि – विरुद्ध है, इसलिए यह प्रश्न विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यद्यपि उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा 02.05.2019 को प्रस्तुत अतिरिक्त जवाब में यह तर्क दिया गया थी कि अंतिम निर्णय "फूल कोर्ट" द्वारा लिया गया था, यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत शपथ पत्र में यह भ्रामक बयान दिया गया था कि अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया गया था। हम ऐसे शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अपनी नाराजगी दर्ज करते हैं जिसमें ऐसे बयान शामिल हैं जो अभिलेखों से मेल नहीं खाते।

17. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भरत ने प्रस्तुत किया कि 2007 के नियम 4–बी के अंतर्गत स्थायी समिति को परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्ति की अनुशंसा करने का अधिकार है। यह प्रस्तुत किया गया कि नियम 2007 के नियम 4–सी (ix) तथा नियम 2007 के नियम 4–सी (xii) से संलग्न प्रावधान स्थायी समिति को ऐसी अनुशंसा करने का अधिकार देते हैं।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों के संबंध में उन्होंने न्यायालय का ध्यान अपील ज्ञापन के पैरा 7 की ओर आकर्षित किया है।

18. रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. एन. मिश्रा ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पर भरोसा किया तथा प्रस्तुत किया कि रिट अपील में कोई दम नहीं है तथा इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

19. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बटुक देव पति त्रिपाठी एवं अन्य के मामले में, (1978) 2 एससीसी 102 में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था कि संविधान के अनुच्छेद 235 में प्रावधान है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होगा और चूंकि अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय–समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, अनुच्छेद 235 का अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण न्यायाधीशों के पूरे निकाय में निहित है जो मिलकर उच्च न्यायालय का गठन करते हैं, न कि उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य न्यायाधिपति या प्रशासनिक न्यायाधीश या प्रशासनिक समिति के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीशों के छोटे निकाय में। यह भी कहा गया कि यद्यपि अनुच्छेद 235 के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालयों में संस्थागत रूप से निहित है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उच्च न्यायालयों के पास यह निर्धारित करने की शक्ति नहीं है कि व्यवहार में उस नियंत्रण का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है और यह कि नियंत्रण की शक्ति, जो व्यापक विविधता के मामलों को समझती है,यह अनिवार्य बनाती है कि नियंत्रण के प्रयोग को व्यवहार्य, सुविधाजनक और प्रभावी

बनाने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। यह भी कहा गया कि किसी कार्य को करने की शक्ति अनिवार्य रूप से उस कार्य को करने के तरीके को विनियमित करने की शक्ति भी साथ लेकर चलती है। यह शक्ति का ही एक मामला है और वास्तव में इसके बिना शक्ति का प्रयोग, व्यवहार में कठिनाइयों से भरा हो सकता है जो शक्ति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के बजाय उसे विफल कर देगा। यह देखा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति, जो उच्च न्यायालयों में निहित है, में ऐसे अनेक मामले शामिल हैं, जिनमें प्रायः सूक्ष्मतम प्रकृति के विवरणों पर विचार करना शामिल होता है और इसलिए यदि न्यायालय को उन सभी मामलों पर विचार करने की आवश्यकता होती है तो नियंत्रण का प्रयोग प्रभावी होने के बजाय राज्य में न्याय प्रशासन में देरी और भ्रम पैदा करेगा। यदि न्यायाधीशों की एक छोटी समिति को अनुच्छेद 235 के कार्यक्षेत्र में आने वाले अनेक मामलों पर विचार करने का न्यायालय का अधिकार प्राप्त हो तो नियंत्रण बेहतर और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बटुक देव पति त्रिपाठी (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून यह स्पष्ट करता है कि न्यायाधीशों की एक समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, यदि "फूल कोर्ट" द्वारा विधिवत् अधिकृत हो, तो उन मामलों के संबंध में निर्णय ले सकती है, जिनके संबंध में उस समिति को प्राधिकार दिया गया है।

22. इस समय यह उचित होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 और 227, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 25 और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2005 के अधिक्रमण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 बनाए हैं। अध्याय 1–ए को 04.07.2015 से जोड़ा गया है। अध्याय 1–ए गैर–न्यायिक कार्यों के निपटान के लिए नियमों का प्रावधान करता है और इसमें नियम 4–ए से नियम 4–आर शामिल हैं।

23. नियम 4–ए में मुख्य न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामित दो न्यायाधीश, जो सामान्यतः सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे तथा मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन द्वारा नामित दो न्यायाधीशों से मिलकर बनी स्थायी समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि उनमें से एक उच्च न्यायिक सेवा से नियुक्त न्यायाधीश होगा।

24. नियम 4–बी में प्रावधान है कि स्थायी समिति अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण तथा निर्देशन का प्रभार संभालेगी, जहां तक ऐसा नियंत्रण तथा निर्देशन न्यायिक रूप से नहीं बल्कि अन्य रूप से किया जाता है। नियम 4–बी एक सामान्य शक्ति है जिसके अधीन स्थायी समिति को प्रशासनिक पक्ष पर अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण तथा निर्देशन का प्रभार सौंपा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. नियम 4–सी न्यायाधीशों के संदर्भ के बिना स्थायी समिति की शक्ति को संदर्भित करता है, जो सामान्यतः उसमें दर्शाई गई शक्तियों का प्रयोग करती है।

26. चूंकि नियम 4–सी (ix) और नियम 4–सी (xii) की कसौटी पर तर्क प्रस्तुत किए जा चुके हैं, इसलिए नियम 4–सी (ix) और नियम 4–सी (xii) को इस प्रकार उद्धृत करना उचित होगा:

> "(ix) उच्चतर न्यायिक सेवा और अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने, निलंबन के आदेश पारित करना और सेवा से बर्खास्तगी के अलावा उक्त कार्यवाही में परिणामी आदेश पारित करना।
>
> (xii) किसी भी रैंक के न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना। बशर्ते कि स्थायी समिति के निर्णय की सूचना निर्णय की तिथि से दस दिनों के भीतर "फूल कोर्ट" को परिचालित की जाएगी और यदि "फूल कोर्ट" का कोई सदस्य निर्णय के तीन सप्ताह के भीतर मामले पर "फूल कोर्ट" की बैठक में चर्चा करना चाहता है तो ऐसी बैठक में निर्णय होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

27. इस समय यह कहना प्रासंगिक है कि यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 4–सी(xii) को उद्धृत किया था, लेकिन उसके प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया।

28. नियम 4–ओ(i) और (बी) को पुनः प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:

> 4–ओ.(i) निम्नलिखित मामले पर न्यायाधीशों द्वारा "फूल कोर्ट" की बैठक में निर्णय लिया जाएगा:–
>
> (बी) न्यायिक अधिकारी के पद से बर्खास्तगी के लिए सभी सिफारिशें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. नियम 4–सी(ix) स्थायी समिति को उच्च न्यायिक सेवा और अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्यवाही शुरू करने और सेवा से बर्खास्तगी के अलावा उक्त कार्यवाही में परिणामी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की गई हो। नियम 4–सी(ix) भी स्थायी समिति को सेवा से बर्खास्तगी के कोई परिणामी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं देता है। वर्तमान मामले में, स्थायी समिति ने सेवा समाप्ति की सिफारिश की है।

30. नियम 4–सी(xii) में प्रावधान है कि स्थायी समिति राज्य को सेवा समाप्ति के लिए सिफारिश करने के लिए सशक्त है। किसी भी रैंक के न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति। इसके प्रावधान में यह प्रावधान है कि स्थायी समिति के निर्णय की सूचना निर्णय की तिथि से दस दिनों के भीतर "फूल कोर्ट" को प्रसारित की जाएगी और यदि "फूल कोर्ट" का कोई सदस्य निर्णय के तीन सप्ताह के भीतर यह चाहता है कि मामले पर "फूल कोर्ट" की बैठक में चर्चा की जाए, तो ऐसी बैठक में निर्णय होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वर्तमान में स्थायी समिति द्वारा याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए राज्य सरकार को कोई सिफारिश करने का मामला नहीं है। वर्तमान में ऐसा मामला है जिसमें स्थायी समिति ने

परिवीक्षा पूरी होने से पहले याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने की सिफारिश की है। यह भी मामला नहीं है कि स्थायी समिति की सिफारिश "फूल कोर्ट" को प्रसारित की गई थी और "फूल कोर्ट" ने उसे मंजूरी दे दी थी।

31. नियम 4–ओ(आई)(बी) यह स्पष्ट करता है कि न्यायिक अधिकारी के पद से बर्खास्तगी के लिए सभी सिफारिशें "फूल कोर्ट" की बैठक में न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में की जानी चाहिए।

32. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिकोण में, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति की सिफारिश करने वाला स्थायी समिति का निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं कि चूंकि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के लिए नियम 2006 के नियम 9(4) के अनुसार कोई सिफारिश नहीं की है, इसलिए स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित समाप्ति का आदेश असंवैधानिक और विधि विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिकोण में, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार, रिट अपील निरस्त की जाती है।

34. हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हैं। हम आगे कहते हैं कि उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ता की परिवीक्षा अवधि के संबंध में शीघ्रता से उचित निर्णय लेगा।

सही/–	सही/–
(अरूप कुमार गोस्वामी)	(पार्थ प्रतिम साहू)
मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur